"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2011—भाद्र 5, शक 1933

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय; दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-44/तीन-जेल/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-2 के खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(ठ) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग."

2. नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "12-क. **अपवाद.**— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सहायक जेलर के पद में सीधी भर्ती, राज्य लोक सेवा परीक्षा नियम, 2008 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आयोग द्वारा की जावेगी."

3. अनुसूची-तीन के भाग-क, में शीर्षक "सेवा का नाम" के अंतर्गत कॉलम क्र. 2 में उल्लिखित प्रविष्टि "परिवीक्षा अधिकारी/कल्याण अधिकारी" तथा "सहायक जेलर" के सामने कॉलम क्र. 3 एवं 4 में उल्लिखित शब्द "18 वर्ष" एवं "35 वर्ष" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "21 वर्ष" एवं "30 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. अनुसूची-तीन के भाग ख में, शीर्षक "सेवा का नाम" के अन्तर्गत कालम क्र. 2 में उल्लिखित प्रविष्टि "सहायक सांख्यिकीय अधिकारी" के सामने, कालम क्र. 3 एवं 4 में उल्लिखित शब्द "18 वर्ष" एवं "35 वर्ष" के स्थान पर, शब्द "21 वर्ष" एवं "30 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

5. अनुसूची-तीन के भाग क एवं भाग ख के पश्चात् निम्नलिखित टीप क्रमशः अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :—
"**टीप**— छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर, जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 3-44/तीन-जेल/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 27-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2011

NOTIFICATION

No. F 3-44/Three-Jail/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Non-Gazetted Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Jail Service Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After clause (k) of Rule 2, the following clause shall be inserted, namely :—
"(1) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission."

2. After Rule 12, the following rule shall be inserted, namely :—
"12-A. **Exception.**—Notwithstanding anything contained in these Rules, the direct recruitment to the post of Assistant Jailor shall be made by the Commission in accordance with the procedure laid down in the State Public Service Examination Rule, 2008."

3. In Part A of Schedule III, for the words "18 Years" and "35 Years" mentioned in column No. 3 and 4 against the entry "Probation/Welfare Officer" and "Assistant Jailor" appearing in column No. 2 under the heading "Name of Service", the words "21 Years" and "30 Years" shall be substituted respectively.

4. In Part B of Schedule III, for the words "18 Years" and "35 Years" mentioned in column No. 3 and 4 against the entry "Assistant Statistical Officer" appearing in column No. 2 under the heading "Name of Service", the words "21 Years" and "30 Years" shall be substituted.

5. After Part-A and Part-B of Schedule-III, the following Note shall be inserted respectively, namely :—
"**Note**—The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.